



मसौदा चिकित्सा उपकरण वधियक

प्रलिस के लयि:

औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री वधियक 2022, चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड, ई-फारमेसी ।

मेन्स के लयि:

औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री वधियक 2022, ई-फारमेसी ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावति [औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री वधियक, 2022](#) का मसौदा जारी कयि, जो मौजूदा [औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940](#) तथा अन्य कई नयिमें को प्रतस्थापति कर देगा ।

- यह चिकित्सा उपकरणों के लयि एक अलग वनियमन बनाने पर केंद्रति है, जो नैदानिकि परीक्षण या जाँच के दौरान आने वाली चोट और मृत्यु के लयि जुर्माने और कारावास का प्रावधान करता है और ई-फारमेसियों के वनियमन का प्रयास करता है ।

चिकित्सा उपकरण:

- चिकित्सा उपकरण उद्योग इंजीनियरिंग और चिकित्सा का एक अनूठा मशिरण है । इसमें उन मशीनों का नरिमाण करना शामिल है जनिका उपयोग जीवन बचाने के लयि कयि जाता है ।
- चिकित्सा उपकरणों में सर्जिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक उपकरण जैसे- कार्डिएक इमेजिंग, सीटी स्कैन, एक्स-रे, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, एमआरआई और हाथ से प्रयोग कयि जाने वाले उपकरणों सहति लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे- वेंटिलटर आदि के साथ-साथ इम्प्लांट्स एवं डिसिपोजल तथा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग शामिल हैं ।

मसौदा वधियक की मुख्य वशेषताएँ:

- नैदानिकि परीक्षण और जाँच हेतु प्रावधान:
 - उत्तराधिकारी को मुआवज़ा: यह लोगों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को नैदानिकि परीक्षणों और दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की जाँच के दौरान चोट लगने या मौत होने पर मुआवज़े का प्रावधान करता है ।
 - यह मसौदा जाँचकर्त्ताओं पर परीक्षण के कारण आने वाली कसिी भी प्रकार के भी चोट के लयि चिकित्सकीय प्रबंधन की जमिमेदारी भी आरोपति करता है ।
 - दंड एवं जुर्माना: मुआवज़े का भुगतान नहीं करने पर कारावास का प्रावधान, और मुआवज़े की राशिको दोगुना करने का प्रावधान इसमें शामिल कयि गया है ।
 - नैदानिकि परीक्षणों का नषिध: यह केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति के बिना दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नैदानिकि परीक्षण या नैदानिकि जाँच को प्रतबिधति करता है ।
 - यद नरिधारति प्रावधानों का पालन नहीं कयि जाता है तो यह जाँचकर्त्ताओं और परीक्षण या जाँच के प्रायोजकों को प्रतबिधति करने का प्रावधान करता है ।
- मेडिकल डेवाइसेस टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड: ड्राफ्ट बलि में मौजूदा **ड्रग टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड** की तर्ज पर मेडिकल डेवाइसेस टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड बनाने का प्रावधान है, जसिमें इन उपकरणों की इंजीनियरिंग का तकनीकी ज्ञान रखने वाले और उद्योग के सदस्य होंगे ।
 - स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा बोर्ड में परमाणु ऊर्जा वभाग, वजिज्ञान और प्रौद्योगिकि वभाग, इलेक्ट्रॉनिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकि मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन एवं बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोमेटरियल्स और पॉलिमर टेक्नोलॉजी के कषेत्र के वशेषज्ञ होंगे ।

संबंधति मुद्दे:

- मसौदा मुख्य रूप से ई-फार्मेसी से जुड़े मुद्दों तथा वे मौजूदा नयियों का उल्लंघन कैसे करते हैं, से संबंधित है:
- वर्ष 1940 के कानून में ऑनलाइन फार्मेसी के नियमन का शायद ही कोई प्रावधान है।
 - वर्तमान में ये सभी ऑनलाइन फार्मेसियाँ कानून के दायरे से बाहर हैं, इनमें से ज़्यादातर के पास दुकानों या भंडारण इकाइयों के लाइसेंस हैं।
 - वे बिना प्रसिक्किशन के दवाएँ देती हैं।
 - उल्लंघन के मामले में नियामक प्राधिकरणों को पता नहीं है कि इन कंपनियों के खिलाफ कानून के कसि प्रावधान के तहत मुकदमा दायर करना है।
 - कभी-कभी ये कंपनियाँ कसि दूसरे राज्य से लाइसेंस प्राप्त कर अन्य राज्य में काम करती थीं।

भारत के चकित्सा उपकरण उद्योग की वर्तमान स्थिति:

■ परिचय:

- भारत में चकित्सा उपकरण उद्योग के मौजूदा बाज़ार का आकार 11 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत में चकित्सा उपकरण उद्योग में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ सूक्ष्म, **लघु और मध्यम उद्यम (MSME)** शामिल हैं जो अभूतपूर्व पैमाने पर बढ़ रहे हैं।
- चकित्सा उपकरण क्षेत्र पिछले 3 वर्षों में 15% की CAGR के साथ लगातार बढ़ रहा है।
- भारत में चकित्सा उपकरण उद्योग वृद्धि के लिये तैयार है और वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र के बाज़ार का आकार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
- ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड सेटअप दोनों के लिये स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। मज़बूत FDI अंतर्वाह भारतीय बाज़ार में वैश्विक अभिकर्ताओं के भरोसे को दर्शाता है।

■ पहल:

- **चकित्सा उपकरणों के घरेलू वनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:**
 - चकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिये **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI)** घरेलू वनिर्माण को बढ़ावा देने और केंसर देखभाल उपकरणों, रेडियोलॉजी तथा इमेजिंग उपकरणों, एनेस्थेटिकस उपकरणों, प्रत्यारोपण आदि जैसे चकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु एक वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।
- **चकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना:**
 - **चकित्सा उपकरण पार्कों** को बढ़ावा देने का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के आधार को मज़बूत करना और घरेलू बाज़ार में चकित्सा उपकरणों के लिये एक मज़बूत वनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
 - विश्व स्तरीय मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये योजना के तहत अनुदान घरेलू उत्पादन हेतु गति का निर्माण करेगा और भारत में चकित्सा उपकरणों की मूल्य शृंखला को मज़बूत करेगा।
 - इसके अतिरिक्त, इनके परिणामस्वरूप निर्माण की लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी आने की उम्मीद है, जिससे देश में चकित्सा उपकरणों की बेहतर पहुँच और क्षमता में वृद्धि होगी।
- वर्ष 2014 में **'मेक इन इंडिया'** अभियान के तहत चकित्सा उपकरणों को एक **'सनराइज़ सेक्टर'** के रूप में मान्यता दी गई है।

वधियक की आवश्यकता

- वर्तमान में देश में बेचे जाने वाले लगभग 80% चकित्सा उपकरण, विशेष रूप से उच्च श्रेणी के उपकरणों का आयात किया जाता है।
- अंतरिक्ष में भारतीय अभिकर्ताओं ने अब तक आमतौर पर कम लागत वाले उत्पादों, जैसे उपभोग्य एवं डिसिपोजेबल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे वदेशी कंपनियों को उच्च मूल्य का हिससा मिला रहा है।
- इसका लक्ष्य **अगले 10 वर्षों में भारत की आयात निर्भरता को 80% से घटाकर लगभग 30% करना है** और वर्ष 2047 तक चकित्सा उपकरणों के लिये शीर्ष पाँच वैश्विक वनिर्माण केंद्रों में से एक बनना है।
- इसका उद्देश्य **चकित्सा उपकरणों पर भारत के प्रति व्यक्त खर्च को भी बढ़ाना है।**
 - भारत में 47 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्त खर्च के वैश्विक औसत की तुलना में 3 अमेरिकी डॉलर पर चकित्सा उपकरणों पर सबसे कम प्रति व्यक्त खर्च है जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की प्रति व्यक्त खर्च 415 अमेरिकी डॉलर एवं जर्मनी की 313 अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफी कम है।

आगे की राह

- ई-फार्मेसियों को वनियमित करने के लिये मौजूदा नयियों, कानून में अधिक सरलता से बदलाव करने की आवश्यकता है।
- बड़ी फार्मा कंपनियों के खिलाफ नवारक उपायों की ज़रूरत है क्योंकि नैदानिक परीक्षण के लिये नियम तो हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं।
- यदि कोई समस्या पाई जाती है तो दवाओं या उपकरणों को वापस करने का भी प्रावधान होना चाहिये।
- पहुँच में वृद्धि और आवश्यक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग पर बल देना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

